भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1112

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

**हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध**

1112. श्रीमती विप्लव ठाकुरः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत अधिक वित्तीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) से (ग) : हिमाचल प्रदेश (एचपी) सहित जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी के लिए एससीए) के तहत राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव पर एक विधिवत रुप से गठित परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा विचार तथा अनुमोदन किया जाता है। राज्य सरकारों को निधियों के आवंटन के लिए मूलभूत मानकों देश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के संबंध में राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत पर आधारित है। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मांगी गई निधियों की राशि तथा राज्य को दिया गया आवंटन नीचे तालिकाबद्ध है:-

 (करोड़ रु. में)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वित्तीय वर्ष | टीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत कुल आवंटन | देश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के संबंध में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत | अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार आवंटन का अंश | हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा मांगी गई राशि | जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत/आवंटित राशि |
| 2014-15 | 1040-00(सं.अ.) | 0.38 | 3.95 | 17.68 | 9.98 |
| 2015-16 | 1250.00(ब.अ.) | 0.38 | 4.75 | 15.00 | 4.75 |

\*\*\*\*\*